झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....33........ वर्ष 20..22.....

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती रीना कुमारी, ग्राम - जोलहना, पंचायत - कजरी, प्रखण्ड - पड़वा, जिला - पलामू

DISPOSED
18/07/2022

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	परिवादी श्रीमती रानी कुमारी, ग्राम–गोल्हना, पंचायत–कजरी, प्रखण्ड–पड़वा, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा ज़ारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक–26.12.2021 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम हटाने का अनुरोध किया गया है। आयोग के पत्रांक–WA/153/2021 दिनांक–04.01.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई थी। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है। दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है। अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx39

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। वाद सं0–33/2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा आज सुनवाई हेतु रखे गए मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदन दिया गया, जिसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि परिवादी के शिकायत का समाधान कर दिया गया है। प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कथन को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx9	